न्यायालय तहसीलदार (भू–अ.), श्री करणपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री जगदीश चन्द्र बिश्नोई
प्रकरण संख्या -- 22/2020
अनवान – गुरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर बनाम हरखासआम।
किस्म मुकदमा -- वसीयत के अनुसार नामान्तरण किये जाने बावत।
वसीयतकर्त्ता का नाम – कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर

–: **निर्णय** :–

दिनांक – 3-9-20

आज पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का अध्ययन किया गया। जिसका संक्षिप्त सार निम्न प्रकार है–

प्रार्थी गुरजीत सिंह पुत्र कुलवन्त सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर ने चक 22 ओ ए के मु.नं. 2,3,4,5,6,7,8, 38/1, 38/2, 38/3 में 34.914 हैक्ट. में से 1.027 हैक्ट. व मु.नं. 35, 38/22 में कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय खाला में से 0.449 हैक्ट. कुल 1.976 हैक्ट. नहरी मय खाला भूमि की वसीयत दिनांक 17.06.2017 को प्रार्थी के पक्ष में की है, जिसका प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा नोटेरी से दिनांक 17.06.2017 को प्रमाणित वसीयत, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है।

संलग्न वसीयत का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार वसीयतकर्त्ता कलवन्त सिंह उर्फ कुलवन्त सिंह उर्फ गोरा सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर ने चक 22 ओ ए के मु.नं. 2,3,4,5,6,7,8, 38/1, 38/2, 38/3 में 34.914 हैक्ट. में से 1.027 हैक्ट. व मु.नं. 35, 38/22 में कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय खाला में से 0.449 हैक्ट. कुल 1.976 हैक्ट. नहरी मय खाला भूमि को प्रार्थी गुरजीत सिंह पुत्र कलवन्त सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला के नाम करने की इच्छा जाहिर की है। वसीयत नोटेरी से प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जिसमें मृत्यु दिनांक 16.01.2018 को हुई है अंकित है, पेश किया गया है।

पटवारी हल्का रडेवाला से रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जमाबन्दी चक 22 ओ ए के खा.सं. 32/28 के मु.नं. 2,3,4,5,6,7,8, 38/1, 38/2, 38/3 में 34.914 हैक्ट. में से 1.027 हैक्ट. भूमि कलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह व खा.सं. 39/32 के मु.नं. 35, 38/22 में कुल 3.795 हैक्ट. नहरी मय खाला में से 0.949 हैक्ट. भूमि नहरी मय खाला कुलवंत सिंह पुत्र करतार सिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार कुल 1.976 हैक्ट. भूमि नहरी मय खाला वसीयतकर्त्ता के नाम से दर्ज रिकार्ड है। रकबा खातेदारी है, कोई विवाद/स्थगन आदेश नहीं है, सिलींग सीमा से प्रभावित नहीं है, सार्वजनिक कार्य हेतु अवाप्त नहीं है, रकबा रहन, बैय नहीं है, भूमि स्वयं अर्जित है।

इस न्यायालय के पत्रांक व.प्र./भूअ/2018/274–75 दिनांक 14.02.2018 द्वारा वसीयत के सम्बन्ध में आपत्ति/ऐतराज बावत किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिये विज्ञप्ति/सार्वजनिक सूचना जारी की गई। जो कि दैनिक राष्ट्रीय छाप समाचार पत्र के दिनांक 15.02.2018 के अंक में प्रकाशित हुई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के बाद आज दिनांक तक इस वसीयत के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

वसीयत में दर्ज गवाहान हरजिन्द्र सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट्टसिख व कुलविन्द्र सिंह पुत्र हरबन्स सिंह जाति जट्टसिख निवासी 24 ओ घुट्टीवाला, तहसील श्री करणपुर ने दिनांक 24.08.2020 को उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करवाये कि वसीयतकर्ता कलवन्त सिंह उर्फ कुलविन्द्र सिंह पुत्र करतार सिंह द्वारा उनके समक्ष वसीयत लिखवाई गई थी जो सही है एवं वसीयत अपनी स्वेच्छा व रजामन्दी से करवाई बताया गया।

सारांश

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय संलग्न कागजात, पटवारी हल्का रिपोर्ट, वसीयत के गवाहान के बयान एवं दैनिक राष्ट्रीय छवि में विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त आज तक कोई आपत्ति/ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। इससे वसीयत की सत्यता प्रमाणित होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा पटवारी को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तथा मौके पर कब्जा आदि का विवाद नहीं हो तो प्रार्थी के मूल दस्तावेज का मिलान करते हुये वसीयत अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार (भू-अ.),
श्री करनपुर

कार्यालय तहसीलदार (भू अ) श्रीकरनपुर

क्रमांक/भू अ/2020/10316 दिनांक 4-9-20

वसीयत आदेश की प्रति हल्का पटवारी 28 वाला को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की पालना कर रिपोर्ट पेश करें

4.9.20

तहसीलदार (भू अ.)
श्रीकरणपुर